

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/02309/2020

जयपुर, दिनांक 16.06.2020

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों द्वारा अग्रिम अध्ययन हेतु पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। निम्नलिखित सूचना सहायको द्वारा अग्रिम अध्ययन की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	567	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	MSc. (CS)	VMOU, Kota
2.	1687	श्री प्रकाश सिंह	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बाड़मेर	MCA	JNU, Jaipur
3.	2061	श्री प्रवीण कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- पाटन, सीकर	M.A. (Political Science)	VMOU, Kota
4.	2450	श्रीमती नेहा पारीक	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर	MA (History)	VMOU, Kota
5.	2592	श्री पीयूष प्रजापत	कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परबतसर, जिला नागौर	MCA	JNU, Jaipur
6.	2723	श्री प्रदीप सिंह गोहिल	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	MA (Hindi)	MDSU, Ajmer
7.	2884	श्री प्रमीत चौहान	कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय, जोधपुर	M.Lib	VMOU, Kota
8.	4061	सुश्री निशा खींची	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर	MAC	JNU, Jaipur
9.	2018 Batch	सुश्री पद्मा लोहार	न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी, जोधपुर	MA (Political Science)	VMOU, Kota
10.	2018 Batch	श्री निजय कुमार	कार्यालय तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा	PGDCA	VMOU, Kota
11.	2018 Batch	श्री लोकेश मीना	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजसमन्द	PGDCA	IGNOU
12.	2018 Batch	श्री पंकज सालवी	कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, बांसवाड़ा	1.M.Sc. (Math) 2. PGDCA	VMOU, Kota
13.	2018 Batch	श्री नितिन शर्मा	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, झालावाड़	MSc (CS)	VMOU, Kota
14.	2018 Batch	सुश्री प्रतिभा चौधरी	कार्यालय उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, फलौदी, जोधपुर	MA (Political Science)	IGNOU
15.	2018 Batch	सुश्री पूनम कुमारी	कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्चेन, जिला - भरतपुर	MSC (CS)	VMOU, Kota
16.	2018 Batch	श्री पियूष जैन	वन सर्वेक्षण परियोजना, सू. प्रौ. और संचार विभाग, सरिस्का, अलवर	DOEACC 'A' Level	NIELIT
17.	2018 Batch	श्री पुलकित पुरोहित	कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बांसवाड़ा	BLIS	IGNOU
18.	2018 Batch	श्री पंकज कुमार वर्मा	वन सर्वेक्षण परियोजना, सू. प्रौ. और संचार विभाग, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर	PGDCA	VMOU, Kota
19.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती निकिता	कार्यालय जे.के.लोन हॉस्पिटल, जयपुर	MCA (3 rd Year)	IGNOU

P.T.O.

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—Sd—

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Gdm
15/06/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)